राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.3(77)नविवि/3/2010 पार्ट–4 जयपुर, दिनांक :– 3 FEB 2021

आदेश

विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के Provision- 6.09 (Above 10 Hectares)/4.05 (up to 10 Hectares) की तालिका के नोट संख्या "3" के अनुसार, "कृषि आधारित वेयर हाउसिंग/गोदाम के भूखण्डों पर राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में जारी आदेश अनुसार 90–क, भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क, भवन मानचित्र शुल्क, लीज राशि व अन्य शुल्क में शत–प्रतिशत छूट देय होगी।" का प्रावधान है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि कृषि आधारित वेयर हाउसिंग/गोदाम के भूखण्डों के लिए नगरीय निकायों द्वारा बाहय विकास एवं सीवर लाईन पर कोई व्यय नहीं किया जाता है और वहां पर सीवर लाईन और अन्य किसी बाहय विकास कार्य की आवश्यकता नहीं है, तो बाहय विकास शुल्क/सीवर शुल्क वसूल नही किया जावे। लेकिन यदि भविष्य में ऐसे भूखण्डों के लिए बाहय विकास या सीवर लाईन का कार्य नगरीय निकायों द्वारा कराया जाता है तो उसके समतुल्य शुल्क आवेदक द्वारा जमा कराया जावेगा। इस आश्य का शपथ–पत्र आवेदक से लिया जावेगा। तथापि बी.एस.यू.पी. शुल्क ऐसे मामलों में भी वसूल किया जायेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मनीष मोयल)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके अधीन समस्त नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका को निर्देशित किये जाने हेतु।
5. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
6. संयुक्त शासन सचिव प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
8. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त।
9. उप नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग।
10. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।
11. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम